न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 33 / 2006 / सीकर

1— भूराराम (मृतक)
2— बाघाराम (मृतक)
3— गाडाराम
4— भगवानाराम
पुत्रगण हनुमान जाति मीणा निवासीगण प्रेमसिंह की ढाणी तन रेवासा तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— दुर्गाराम
2— शीशपाल
3— भागीरथ
4— जगदीश
5— सांवर
पुत्रगण स्व.सुल्तान जाति मीणा निवासीगण प्रेमसिंह की ढाणी तन रेवासा तहसील दातारामगढ जिला सीकर।
6— श्रीमती शांति बेवा सुल्तान जाति मीणा निवासीगण प्रेमसिंह की ढाणी तन रेवासा तहसील दातारामगढ जिला सीकर।
7— सीताराम
8— राधेश्याम
पुत्रान औंकारमल जाति मीणा निवासी मोरीजा तन चौमू
9— अनीता पुत्री औंकारमल
10—बबीता
पुत्री औंकारमल जाति मीणा निवासी मोरीजा तन चौमू जरिये संरक्षक औंकारमल जाति मीणा निवासी मोरीजा तन चौमू
11—दडकी पुत्री सुल्तान जाति मीणा निवासी नींदड बेनाड जिला जयपुर
12—नेमू पुत्री सुल्तान जाति मीणा निवासीगण प्रेमसिंह की ढाणी तन रेवासा जरिये संरक्षिका माता शांतिदेवी मीणा निवासीगण प्रेमसिंह की ढाणी तन रेवासा
13—राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दातारामगढ जिला सीकर ।

.....रेस्पोडेंट्स

खण्ड–पीठ
डॉ0आर.वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री बी.एल.मेहरडा, सदस्य

उपस्थित :
श्री अजयपाल ढिढारिया, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री सी.पी.शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

दिनांक : .....

निर्णय

1– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत यह द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील मीमो के अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उपखंड अधिकारी दातारामगढ के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में प्रस्तुत किया। उपखंड अधिकारी दातारामगढ ने अपीलार्थीगण का वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 12–5–04 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–05 से खारिज कर दिये जाने से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील अपीलार्थीगण द्वारा मंडल में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलांट सं.1 भूराम का देहांत दिनांक 14–1–2015 को तथा अपीलार्थी सं.2 बाघाराम का देहांत 3–9–2015 को हो गया है जिनके विधिक वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जावे। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण गरीब, अनपढ काश्तकार होने एवं मुकदमे की जानकारी नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण की मृत्यु की सूचना न्यायालय में नहीं दे सके तथा विधिक वारिसानों को रिकोर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र समय पर नहीं दे सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षम्य करते हुये अपीलार्थीगण के विधिक वारिसानों को रिकोर्ड पर लिया जावे। उनका यह भी तर्क है कि अपील को तकनीकी आधार पर अबैट नहीं करना

चाहिये तथा गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिये। अपील को तकनीकी आधार पर निरस्त करने से अपीलार्थीगण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से वंचित हो सकते है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षम्य करते हुये अपीलार्थी सं.1 व 2 के विधिक वारिसानों को रिकोर्ड पर लिया जावे।

5— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि अपीलार्थीगण को विधिक वारिसानों को रिकोर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र 90 दिन के अंदर प्रस्तुत करना चाहिये था। प्रार्थना पत्र काफी लम्बे समय से प्रस्तुत किया है तथा देरी का कोई संतोषजनक कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील स्वतः अबैट हो चुकी है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सहपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जावे तथा हस्तगत् अपील अबैट होने के कारण निरस्त की जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने डीएनजे 2012 एचसी पेज 729, 2015 आरआरटी पेज 232, 2016 आरबीजे पेज 226, 2017 आरबीजे एससी पेज 536, 2017 डीएनजे पेज 415, 2019 आरबीजे पेज 61 की नजीरें प्रस्तुत की।

6— दोनों पक्षों की तरफ से दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— वर्तमान अपील में हमारे समक्ष अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी को निर्णित किये जाने का बिन्दू विचाराधीन है। यह तथ्य निर्विवाद है कि वर्तमान अपीलार्थी सं.1 की मृत्यु दिनांक 14—1—2015 व अपीलार्थी सं.2 की मृत्यु दिनांक 3—9—2015 को हो गई थी और इनके वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने हेतु दिनांक 21—12—2016 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अपीलार्थी सं.1 व 2 की मृत्यु के क्रमशः लगभग 2 वर्ष एवं डेढ वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में इस विलम्ब का कारण प्रार्थीगण के अनपढ काश्तकार होने एवं मुकदमे की जानकारी वर्तमान अपीलार्थीगणों को नहीं होने का आधार अंकित किया गया है। जहां तक जानकारी का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि मृतक अपीलार्थी सं.1 व 2 तथा जीवित अपीलार्थी सं.3 व 4 एक ही पिता की संताने है। ऐसी स्थिति में यह कतई नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी सं.1 व 2 की मृत्यु की जानकारी अपीलार्थी सं.3 व 4 को इतने लम्बे समय तक नहीं थी। यहां हम 2015(1)आरआरटी पेज 232 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को उद्धरित करना उचित समझते है।

.....Code of Civil Procedure, 1908- Order 22, Rule 3 & Rule 11 r/w sec. 151- Death of plaintiff No. 3 'N' –'N' died on 4.6.2012-Delay or 2 years in filing applications- Application filed u/ sec, 5 for condonation of delay- No sufficient reason for condoning the delay- Application filed in a casual manner – Law of limitation is not only a formality- Held, application is liable to be dismissed on account of delay.

जैसाकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि मियाद का कानून मात्र औपचारिकता नहीं है और यदि कोई व्यक्ति देरी को क्षम्य करवाना चाहता है तो उसे न्यायालय के समक्ष संतोषप्रद कारण दिखाना होगा। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थीगण की मृत्यु के 90 दिन के अंदर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा जिन आधारों पर लगभग दो वर्ष की देरी को क्षम्य करने का निवेदन किया गया है वह किसी भी स्थिति में संतोषप्रद नहीं कहे जा सकते क्योंकि यह माना नहीं जा सकता कि एक ही परिवार के व्यक्तियों को परिवार के दूसरे सदस्यों की मृत्यु की जानकारी नहीं हो। ऐसी स्थिति में हम विलम्ब को क्षम्य करने का कोई आधार प्रार्थना पत्र में नहीं पाते। इस क्रम में हम 2016 आरबीजे पेज 226 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को भी उद्वरित करना उचित समझते है :–

.....Indian Limitation Act, 1963- Section 5- & code of Civil Procedure 1908- Section 100- Condonation of delay of 2344 days in filing of appeal. A total inaction or indolence on the part of a litigant cannot persuade a court to exercise its discretion to condone the delay in favour of a litigant. If such liberal approach is adopted by the law courts, then it may render law of limitation nugatory and otiose, eventually putting premium over the total inaction and dormancy of a litigant for his legal rights. Delay cannot be condoned.

उक्त उद्वरण से स्पष्ट है कि यह पक्षकार का दायित्व है कि वे सतर्क रहकर अपने प्रकरण में कार्यवाहीं करें और यदि न्यायालय द्वारा यांत्रिक रूपसे विलम्ब को क्षम्य किया जाता है तो यह मियाद के अधिनियम को अप्रभावी कर देता है और उसकी लापरवाही की सजा विपक्ष को मिलती है जो न्याय की मंशा नहीं हो सकती।

उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है और जिसके प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत क्षम्य नहीं किया जा सकता।

क्योंकि आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि क्या आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आधार पर अपील पूर्णतया अबैट होती है अथवा नहीं। जैसाकि 2017 डीएनजे

एससी पेज 415 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मृत्यु की दिनांक से 90 दिन के अंदर वारिसान को अभिलेख पर नहीं लिये जाने की स्थिति में अपील स्वतः अबैट हो जाती है। अतः उक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में वर्तमान अपील आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अबैट हो चुकी है। हम वकील रस्पोडेंट के इस तर्क से सहमत है कि मात्र अबैटमेंट निरस्त कराने हेतु आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना किया जाना आवश्यक नहीं है। किंतु जब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा हो ऐसी स्थिति में उनके इस तर्क में कोई सार नहीं रहता।

वकील अपीलार्थी का तर्क है कि अपील में चार अपीलार्थी है तथा मात्र दो अपीलार्थीगण की मृत्यु के कारण शेष जीवित अपीलार्थी अपील चलाने में सक्षम है। इस तर्क के निर्णय हेतु हमें यह देखना होगा कि अपील में पक्षकारों द्वारा चाह गया अनुतोष एवं उनके अधिकार विभाज्य है अथवा नहीं। यदि अनुतोष एक ही आधार पर चाहा गया है और पक्षकारों के अधिकार विभाजित नहीं है तो अपील विधिक स्थिति के अनुरूप पूर्णतया अबैट होगी। वर्तमान प्रकरण में वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व 136 के अंतर्गत चारों अपीलार्थी द्वारा संयुक्त रूपसे लाया गया है और उक्त वाद उपखंड अधिकारी की एक ही डिक्री द्वारा खारिज किया गया था। ऐसी स्थिति में अनुतोष वर्तमान अपील में विभाजित नहीं है और अपील सम्पूर्णता में ही अबैट होगी। इस सबंध में डीएनजे 2012(2) एचसी पेज 729 के प्रावधान प्रासंगिक है। क्योंकि यदि सम्पूर्ण अपील अबैट नहीं की गई तो विरोधाभासी डिक्री पारित की जा सकती है जोकि कानूनन उचित नहीं होगा। इसलिये सम्पूर्ण अपील ही निरस्त होगी।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलांट द्वारा मृतक अपीलांट के वारिसानों को रिकोर्ड पर लाये जाने की कार्यवाहीं नहीं किये जाने के फलस्वरूप अपील पूर्णतया अबैट होती है। अतः अपील अबैट होने के कारण खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयो का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरडा)
सदस्य

(डॉ0 आर.वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष